क्षमता निर्माण घटक के लिए संशोधित दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

क्षमता निर्माण पीएमएफएमई योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना के तहत, इस योजना के कार्यान्वयन से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विभिन्न समूहों जैसे स्वयं सहायता समूहों/एफपीओ/सहकारिता, कामगारों और अन्य हितधारकों जैसे सरकारी अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा: -

- i. व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी योजना के तहत ऋण से जुड़े अनुदान का लाभ उठा रहे हैं
- ii. व्यक्तिगत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो योजना के तहत अनुदान नहीं ले रहे हैं
- iii. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के श्रमिक
- iv. खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे एसएचजी / एफपीओ / सहकारी समितियों के सदस्य
- v. सरकारी अधिकारी और अन्य संसाधन व्यक्ति पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं
- vi. योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करने वाले अन्य विभागों के संसाधन व्यक्ति और अधिकारी, जैसे कि, राज्य स्तर पर आदिवासी विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, एसआरएलएम, सहकारी विकास आदि।

2. क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क

- 2.1 पीएम एफएमई योजना का क्षमता निर्माण घटक अनिवार्य रूप से मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसर की उद्यमशीलता क्षमता को मजबूत करने और खाद्य हैंडलिंग, सुरक्षा, स्वच्छता और संयंत्र स्तर पर अपनी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल के उन्नयन की दिशा में सक्षम है । इन उद्देश्यों को इच्छित लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए निफ्टईएम, आईआईएफपीटी, एफआईसीएसआई, आईसीएआर/सीएसआईआर संस्थानों, एसएयू, आएसईटीआई, रुदसेती, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों और गैर-सरकारी संगठन/वीओ जैसे मौजूदा संस्थानों को जुटाकर एक संरचना के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की जाती है। उद्यमियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर और प्रशिक्षकों के मध्यस्थता के माध्यम से शीर्ष स्तर के संस्थानों से उद्यमशीलता और तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से दिया जाएगा।
- 2.2 लक्ष्य लाभार्थियों के लिए प्रासंगिक क्षमता निर्माण का प्रमुख घटक ईडीपी प्रशिक्षण और उत्पाद प्रशिक्षण है। पीएम एफएमई योजना संकल्पनात्मक रूप से ओडीओपी थीम पर आधारित है, जिसमें खराब होने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें फल और सब्जियां प्रमुख खंड बनाती हैं। इसलिए, मास्टर प्रशिक्षकों को इन दो घटकों में दो राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात निफ्टीईएम और आईआईएफपीटी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा जो बदले में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। ये प्रशिक्षक जिला स्तर पर इच्छित हितग्राहियों को प्रशिक्षण देंगे। फलों और सब्जियों के आधार पर अन्य उत्पादों के लिए आईसीएआर/सीएसआईआर अनुसंधान संस्थान संबंधित संस्थानों द्वारा

प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के माध्यम से उद्यमियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा । भारत सरकार के स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और राज्य नोडल विभाग प्रशिक्षण के आयोजन में सभी हितधारकों का सहयोग प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने वाले संस्थानों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी । प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सीखने का मूल्यांकन तृतीय पक्षकार मूल्यांकन के जरिए करने के लिए मूल्यांकन पद्धित होगी।

- 2.3 संक्षेप में, निफ्टईएम और आईआईएफपीटी, एफआईसीएसआई के परामर्श से प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री को अंतिम रूप देंगे। एक सिमित जिसमें निफ्टम, आईआईएफपीटी, सीएफटीआरआई, एफआईसीएसआई और संबंधित क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो पाठ्यक्रम के अनुमोदन, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षकों के मैनुअल, पठन सामग्री और वीडियो ट्यूटोरियल सिहत पाठ्यक्रम सामग्री सिहत प्रशिक्षण के तकनीकी पहलुओं का पर्यवेक्षण करेंगे। निफ्टम ईडीपी के प्रशिक्षण के लिए आईआईएफपीटी खाद्य क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। निफ्टईएम में ईडीपी के लिए और आईआईएफपीटी में फलों और सिब्जयों के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चूंकि प्रत्येक राज्य में अन्य खाद्य उप-क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षकों की संख्या काफी छोटी होगी, इसलिए मास्टर प्रशिक्षकों को केवल ईडीपी और एफएंडवी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ईडीपी और एफएंडवी के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षक एसएलटीआई में प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अन्य खाद्य उप-क्षेत्रों और लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आईआईएफपीटी द्वारा पहचाने गए राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। प्रशिक्षक भी जिला संसाधन व्यक्ति या एसएनए द्वारा पहचाने गए अन्य प्रशिक्षक हो सकते है।
- 2.4 ईडीपी और उस जिले के लिए ओडीओपी के लिए जिला स्तर पर लाभार्थियों को प्रशिक्षण ट्रेनरों द्वारा क्लास रूम में प्रदान किया जाएगा। ओडीओपी के अलावा अन्य लाभार्थियों के लिए, ईडीपी प्रशिक्षण जिला स्तर पर समान प्रारूप में होगा, जबिक उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण आईआईएफपीटी द्वारा चिह्नित राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों द्वारा ऑनलाइन होगा। ये राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान प्रत्येक माह एक सप्ताह के लिए 7 खाद्य उप-क्षेत्रों और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स (एमएफपी) के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए सारणी आईआईएफपीटी द्वारा घोषित की जाएगी। एफआईसीएसआई तीसरे पक्षकारों के माध्यम से अपने प्रशिक्षण के समापन पर विभिन्न प्रशिक्षुओं के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था करेगा। पीएम एफएमई योजना के तहत प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दी गई हैं।

2.5 उद्यमिता विकास (ईडीपी+)

अन्य एमएसएमई योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले मानक उद्यमिता विकास कार्यक्रम को खाद्य प्रसंस्करण के स्वास्थ्य, स्वच्छता, मानकों, गुणवत्ता पहलू को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा। ऐसे ईडी प्रोग्राम (ईडीपी+) की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- i. व्यापार के अवसरों की पहचान और व्यापार योजना की तैयारी पर ज्ञान प्रदान करने के लिए
- ii. पंजीकरण सहित एक उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया और औपचारिकताओं का परिचय

- iii. एक इकाई के प्रबंधन पर उनके वित्त, विनियामक और प्रतिमा आवश्यकताओं सहित कौशल विकसित करना
- iv. स्वच्छता, एफएसएसएआई मानकों, वजन और माप विनियमन और पंजीकरण आदि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विशिष्ट मुद्दे हैं।

2.6 उत्पाद विशिष्ट कौशल

- i. समूह के तहत उत्पादों की प्रोफाइल, खरीद और गुणवत्ता मानकों के पूरक उत्पाद, उप-उत्पाद और उनके उपयोग
- ii. प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की रूपरेखा, मशीनरी का अवलोकन, उनकी लागत और सोर्सिंग
- iii. विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग, वैज्ञानिक भंडारण, शेल्फ जीवन और खाद्य हैंडलिंग
- iv. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्यकताएँ
- v. मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन में उत्पादों की गुणवत्ता के महत्व की विवेचना

2.6.1 डोमेन कौशल और प्लेटफार्म कौशल

डोमेन कौशल से तात्पर्य सेक्टर-विशिष्ट कौशल, तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य को सही तरीके से करने के लिए है। प्लेटफ़ॉर्म कौशल प्रस्तुति व्यवहार को संदर्भित करता है जो एक ट्रेनर सामग्री को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए उपयोग करता है। प्रशिक्षकों को अपने संदेशों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट मंच कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए। मास्टर्स ट्रेनर और डीएलटी दोनों को दो मुख्य कौशल डोमेन कौशल और प्लेटफ़ॉर्म कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

2.7 प्रतिपादन के साधन

प्रशिक्षण निम्नलिखित विधियों द्वारा दिया जाएगा

- i. कक्षा व्याख्यान और प्रदर्शन
- ii. लाइव क्लासेस (ऑनलाइन)
- iii. सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मटीरियल
- iv. मशीनों पर प्रशिक्षण

3. प्रशिक्षण का स्तर

3.1 मास्टर ट्रेनर

3.1.1 सभी मध्यम और बड़े राज्यों की नोडल एजेंसी को मास्टर ट्रेनर्स को सूचीबद्ध करना चाहिए जो राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिशित किए जाएं। एमटीएस के लिए प्रशिक्षण की दो श्रेणियां होंगी। ईडीपी + और उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण। राज्यों द्वारा अलग-अलग ओडीओपी के तहत पहचाने जाने वाले समूहों के आधार पर एमटी की संख्या और प्रकार भिन्न हो सकते हैं। राज्य राज्य के भौगोलिक प्रसार के अनुसार अतिरिक्त एमटी को सूचीबद्ध कर सकता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले राज्यों और माइनर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के रूप में ओडीओपी में माइनर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए एक अतिरिक्त ट्रेनर होगा। नजदीकी राज्यों के मास्टर ट्रेनरों की सेवाओं का लाभ छोटे राज्यों

और केंद्रशासित प्रदेश उठा सकते हैं। राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा एमटीएस को "ऑनलाइन" प्रशिक्षित किया जाएगा।

- 3.1.2. एसएनए ईडीपी प्रशिक्षण के लिए एक मास्टर ट्रेनर्स (प्लस वन स्टैंड बाय) और फलों और सिब्जियों के प्रसंस्करण के लिए एक मास्टर ट्रेनर्स (प्लस वन स्टैंड बाय) का चयन कर सकता है और निफ्टेम और आईआईएफपीटी द्वारा प्रशिक्षण के लिए नामांकित कर सकता है। फल एवं सिब्जियों से अलग खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आईआईएफपीटी द्वारा क्षेत्र विशिष्ट संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- 3.1.2 मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण के प्रकार, अवधि और प्रशिक्षण की लागत और योग्यता का विवरण अनुबंध -1 और 1 ए में दिया गया है।

3.2 जिला स्तरीय प्रशिक्षक (डीएलटी)

3.2.1 मास्टर ट्रेनर्स जिला स्तरीय प्रशिक्षकों (डीएलटी) को प्रशिक्षित करेंगे जो लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीई) और ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) जिला स्तर पर या किसी अन्य जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों / संगठन को जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए एसएनए द्वारा नामित किया जाएगा। जिला स्तर पर नामित प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार डीएनटीटी को सूचीबद्ध या संलग्न करेगा। एसएनए डीएलटी का प्रशिक्षण आयोजित करेगा। इन प्रशिक्षकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा ईडीपी + और उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण "ऑन लाइन" मोड या भौतिक मोड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जैसा कि एसएनए द्वारा तय किया गया था। उत्पाद के कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन, सेक्टर विशिष्ट संस्थानों के माध्यम से आईआईएफपीटी द्वारा किया जाएगा।

3.2.2 डीएलटी- ईडीपी का प्रशिक्षण

जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों / एजेंसियों के मौजूदा ईडीपी प्रशिक्षकों को प्रबंधन और उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी) के पाठ्यक्रम के अनुसार ईडीपी + के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा जो पीएम एफएमई स्कीम के लिए अनुकृलित है।

3.2.3 डीएलटी- ओडीओपी का प्रशिक्षण

डीएलटी-ओडीओपी को दिया गया उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण जिले के लिए अनुमोदित ओडीओपी के लिए प्रासंगिक खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, ओडीओपी से संबंधित खाद्य उत्पादों की श्रेणी, प्रसंस्करण उपकरण और उनके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं, तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता, गुणवत्ता मापदंडों ,पैकेजिंग, और भंडारण के लिए होगा जिसके पास काफी हद तक अपने खाद्य व्यवसाय के प्रबंधन में कुछ अनुभव है। फलों और सब्जियों पर विशेष प्रशिक्षण आईआईएफपीटी द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदान किया जाएगा।

3.2.4. एसएलटीआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार, अवधि और प्रशिक्षण की लागत का विवरण अनुबंध -2 ए में दिया गया है।

- 3.2.5 उत्पादों के लिए (मुख्य रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादों के अलावा) ऑनलाइन प्रशिक्षण गैर-ओडीओपी उत्पादों के लिए आईसीएआर / सीएसआईआर के उत्पाद विशिष्ट अनुसंधान संस्थान, राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों या राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर प्रदान किया जाएगा। ओडीओपी और कुछ गैर ओडीओपी उत्पादों के लिए हर महीने एक सप्ताह के लिए आईसीएआर/सीएसआईआर के तहत संबंधित तकनीकी संस्थान द्वारा "लाइव" मोड में ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
- 3.2.6 उत्पाद विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की अविध और लागत का विवरण अनुबंध -2 बी में दिया गया है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अनुलग्नक -2 सी में दिया गया है।

3.3 लाभार्थी- व्यक्ति और समूह

- 3.3.1 कुल 50 घंटे के प्रशिक्षण में मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और समूह के सदस्यों को रखा जाएगा, जिसमें उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए 30 घंटे और उत्पाद प्रशिक्षण के लिए 20 घंटे शामिल होंगे। नए उद्यमियों और समूहों को 60 घंटे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इनमें से 10 घंटे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का उपयोग करते हुए ऑन-लाइन मोड पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 3.3.2 प्रशिक्षण घंटों का ब्रेक-अप और प्रशिक्षण की लागत अनुबंध -3 में दी गई है।

3.3.2 प्रशिक्षण का संगठन

वर्तमान में उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आरएसईटीआई और आरयूडीएसईटीआई, पूरे देश में लगभग 600 प्रशिक्षण केंद्रों के नेटवर्क का उपयोग प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। आरएसईटीआई और आरयूडीएसईटीआई प्रशिक्षण केंद्रों के नेटवर्क के अलावा, जिला स्तर पर स्थित राज्य विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वायत्त और निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण संस्थानों को एसएनए द्वारा समान तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

3.3.3 प्रशिक्षण का तरीका

क्लास रूम ईडीपी (+) प्रशिक्षण को ओडीओपी और गैर-ओडीओपी लाभार्थियों, मौजूदा और नए उद्यमियों दोनों को प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए विकसित अनुमोदित मॉड्यूल का उपयोग करके। ओडीओपी उत्पादों के लिए उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण जिला स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा कक्षा कक्ष में प्रदान किया जाएगा जिन्हें मास्टर ट्रेनर्स और सेक्टर विशिष्ट संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।

3.3.4 जनजातीय लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण

राज्यों के जनजातीय विकास विभागों के सहयोग से उनके कार्यस्थल / निवास के करीब के स्थानों पर लघुवनोपज और अन्य उत्पादों के लिए आदिवासी लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी व्यक्ति, जो लघु वनोपजों के संग्रहण और प्रसंस्करण में लगे हुए हैं, उन्हें अधिमानतः प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण के घंटे, आदि अन्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के समान होंगे, जो कि आदिवासी लाभार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किए गए हैं।

3.4 स्किलिंग, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए श्रमिक प्रशिक्षण

3.4.1. यह उत्पाद विशिष्ट ट्रेनर द्वारा दो बार दुकान की मंजिल के स्तर पर लगाया जाएगा; मशीनरी आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीनरी स्थापना और मशीनरी आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत प्रशिक्षण के बाद एक बार और व्यावसायिक उत्पादन के एक पखवाड़ा बाद इसके अलावा, प्लांट स्तर पर खाद्य हैंडलिंग, सुरक्षा, स्वच्छता और कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए मल्टी मीडिया सामग्री के माध्यम से श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एफआईसीएसआई लाभार्थी उद्यमों के श्रमिकों के ऐसे प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम, पाठ, दिशानिर्देश और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करेगा।

3.4.2 प्रशिक्षण की लागत: कक्षा कक्ष और ऑनलाइन

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भुगतान अनुबंधों में प्रदान की गई दरों के अनुसार किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए एमएसडीई ढांचे के अनुसार प्रशिक्षण की लागत को अपनाया गया है। एमएसडीई फ्रेमवर्क प्रत्येक बैच में 20 मास्टर ट्रेनरों, 20 प्रशिक्षकों और 30 प्रशिक्षुओं की भागीदारी की धारणा पर आधारित है। इस प्रकार यदि किसी बैच में प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित से कम है, तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रदान की गई राशि पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि दरें प्रशिक्षु के अनुसार होती हैं। पहले वर्ष और बाद में भी, प्रत्येक बैच में प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं की संख्या एक व्यवहार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक पैमाने के अनुसार नहीं हो सकती है। इसके अलावा, क्लास रूम प्रशिक्षण आयोजित करने में प्रतिबंध और सीमा को देखते हुए, ऑनलाइन प्रशिक्षण को अपनाने से कक्षा प्रशिक्षण को सीमित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। आरएसईटीआई/ आरयूडीएसईटीआई में जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण के मामले में या क्लास रूम प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अन्य संगठन, प्रदान की गई राशि 30 प्रशिक्षुओं के आधार पर होगी, यदि प्रशिक्षुओं की संख्या 30 से कम है। इसी तरह, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, लागत प्रतिभागियों की संख्या के बावजुद संरचना प्रति सत्र प्रशिक्षण पर आधारित होगी।

4. पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री

4.1 पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री

4.1.1 पूरे देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

4.1.2 ईडीपी + और उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री, एमटी, प्रशिक्षकों और लाभार्थी उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए, अन्य संबंधित संगठनों और फसल विशिष्ट आईसीएआर/ सीएसआईआर अनुसंधान संस्थानों के परामर्श से क्रमशः निफ्टेम और आईआईएफपीटी द्वारा विकसित किया जाएगा। दिशानिर्देशों में परिकल्पित विशेषज्ञ समिति द्वारा पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री की समीक्षा की जाएगी।।

4.2 प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास

- **4.2.1** ओडीओपी के लिए उत्पाद प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षक की मार्गदर्शिका, प्रतिभागी पुस्तिका, मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल- ऑडियो और वीडियो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, बैंकेबल डीपीआर इत्यादि शामिल होंगे। एमओएफपीआई समय-समय पर दरों के साथ सामने आएगा, जैसा कि आउटसोर्सिंग सामग्री / प्रौद्योगिकियों आदि के लिए पीएम एफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत लागू होता है। यह 23 अक्टूबर, 2020 को ओएम न. एम -16/14/2020-एएस-पार्ट (1) दिनांकित किया गया था। वर्तमान दरें **अनुबंध -4** में दी गई हैं।
- 4.2.2 निफ्टेम और आईआईएफपीटी के अलावा, प्रशिक्षण मॉड्यूल आईसीएआर / सीएसआईआर संस्थानों, एसएयू के प्रशिक्षण / विस्तार विभागों या उनके इन-हाउस विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाएंगे। प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता वाले संगठनों / एजेंसियों को पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाकर प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास के लिए कार्य दिया जा सकता है। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक मॉड्यूल की सामग्री और गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। एसएनए राज्य / क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी भी कर सकता है।

4.3 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन शिक्षण

- 4.3.1 बड़ी संख्या में लाभार्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थानों के लिए, अंग्रेजी / हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं और राज्य की क्षेत्रीय भाषा, जिसमें संस्थान स्थित है, में शिक्षण प्रदान करना कठिन हो सकता है। इसलिए, एसएनए को क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन लाइव कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। उन्हें क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना चाहिए। राज्य स्तर के तकनीकी संस्थानों को शिक्षण सामग्री के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों के समान दर पर धनराशि प्रदान की जाएगी।
- **4.3.2** डोमेन विशिष्ट संस्थान मासिक आधार पर विशेष उत्पादों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। राज्य की नोडल एजेंसी एमटी और प्रशिक्षकों को इसमें भाग लेने के लिए नामांकित कर सकती है। इन ऑनलाइन प्रशिक्षणों की दरें **अनुबंध** -2 क में दी गई हैं

4.4 विशेषज्ञ समिति

पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए आईआईएफपीटी, निफ्टेम, सीएफटीआरआई और एफआईसीएसआई के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेषज्ञ सिमति का गठन किया गया है, जो निफ्टेम / आईआईएफपीटी द्वारा तैयार पाठ्यक्रम सामग्री और क्षमता निर्माण घटक के तहत विकसित प्रशिक्षण सामग्री की समीक्षा करती है। अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ यथा ऑनलाइन प्रशिक्षण

आदि की आवश्यकता के अनुसार, अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए, सहयोग किया जा सकता है।

5. मूल्यांकन और प्रमाणन तंत्र

5.1 सभी प्रशिक्षुओं का औपचारिक मूल्यांकन एक तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा किया जाएगा और प्रशिक्षुओं को एफआईसीएसआई के ढांचे के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मूल्यांकन और प्रमाणन से प्रशिक्षण कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ेगी क्योंकि प्रमाणपत्र प्रशिक्षु के अनुभव और योग्यता को जोड़ देगा जो बदले में उद्यमियों द्वारा बैंक ऋण प्राप्त करने में उपयोगी होगा, जिससे फर्श श्रमिकों के रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। मूल्यांकन योजना के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षणों की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करेगा।

5.2 मूल्यांकन के मोड

मूल्यांकन एजेंसी एफआईसीएसआई / एसएनए / आरएसईटीआई द्वारा लगी हो सकती है। मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मूल्यांकन साक्ष्य आधारित होगा और एसएनए द्वारा तय किए गए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों में किया जा सकता है।

5.3 प्रमाणन और मूल्यांकन की लागत

मूल्यांकन के बाद, मार्क शीट और प्रमाण पत्र प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा जारी किए जाएंगे, जो प्रशिक्षण एजेंसी, मूल्यांकन एजेंसी और एसएनए के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रमाण पत्र पर एमओएफपीआई और पीएम एफएमई योजना का लोगो लगेगा। मूल्यांकन की लागत प्रति प्रशिक्षु 900 रू की दर से है।

हैंडहोल्डिंग सेवाएँ

जिला स्तरीय संसाधन (डीएलआर) प्रशिक्षुओं को 3 (तीन) वर्ष तक की अवधि के लिए हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान करेगा। यह शुरुआती समस्याओं, ऋण की मंजूरी और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इकाइयां ठीक से जमी हैं। डीएलआर जिला स्तर पर नामित प्रशिक्षण संस्थानों से सहायता लेना चाहते हैं यथा आरएसईटीआई / रुडसेटी या अन्य जिला स्तरीय प्रशिक्षण एजेंसियां जब और जितनी आवश्यक हों और संस्थान / एजेंसी आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए बाध्य होंगे।

7. मंत्रालय और एनपीएमयू की भूमिका

- राष्ट्रीय संस्थानों, एसएलटीआई और एसएनए की प्रशिक्षण गतिविधियों सिहत क्षमता निर्माण घटकों की निगरानी करना।
- क्षमता निर्माण घटक के तहत तैयार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री को अनुमोदित करने के लिए विशेषज्ञ सिमिति का गठन।
- एनपीएमयू एमओएफपीआई और राज्य नोडल एजेंसियों में राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभाग के साथ समन्वय करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण मील के पत्थर पूरी तरह से निर्धारित समय मैं पूरे होंगे ।
- IV. एनपीएमयू क्षमता निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों में राष्ट्रीय संस्थानों (आईआईएफपीटी और निफ्टेम) के साथ समन्वय करेगा।

8. राज्य नोडल एजेंसी की भूमिका

राज्य नोडल एजेंसी खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की क्षमता निर्माण के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियाँ नीचे दी गई हैं:

- एसएलटीआई और अन्य सहायक एजेंसियों के साथ राज्य में क्षमता निर्माण घटक कार्यान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी ।
- ॥. जिला स्तरीय प्रशिक्षण एजेंसियों, मास्टर ट्रेनरों और प्रशिक्षकों के नामांकन को नामित करें।
- III. प्रशिक्षकों (टीओटी) और लाभार्थियों के प्रशिक्षण का आयोजन (टीओबी)।
- राज्य संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी / अनुकूलन, क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो वीडियो सामग्री की डिबंग या प्रतिकृति ।
- ४. क्षमता विकास गतिविधियों के लिए लाभार्थियों को इकट्ठा करना और आईआईएफपीटी / निफ्टेम / एसएलटीआई और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय।
- VI. एनपीएमयू और संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों (आईआईएफपीटी / निफ्टेम) को समय-समय पर क्षमता निर्माण गतिविधियों में प्रगति की रिपोर्ट करना और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

9. एफआईसीएसआई की भूमिका

खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई) स्वायत्त उद्योग के नेतृत्व वाली संस्था है, जिसे एनएसडीसी द्वारा वित्तीय सहायता के साथ एफआईसीसीआई द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। एफआईसीएसआई राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों को अनुमोदित करने के लिए गठबंधन किए गए पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं का आकलन करने और प्रमाणित करने के साथ-साथ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। एफआईसीएसआई पीएम एफएम स्कीम के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और मूल्यांकन भागीदार होगा। संगठन निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम देगा:

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना का समर्थन, प्रशिक्षण के सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण घंटों का वितरण।
- ॥. दुकान के फर्श में श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री और सामग्री तैयार करें
- III. कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वालों को मास्टर ट्रेनर्स, प्रशिक्षकों और लाभार्थियों का आकलन और प्रमाण पत्र जारी करना ।
- ा०. दुकान मंजिल स्तर पर श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए एफआईसीएसआई के साथ उपलब्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल को अनुकूलित करना ।
- v. आईआईएफपीटी / निफ्टेम द्वारा विकसित सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री की समीक्षा करें।

10. राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका

- **10.1** क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय संस्थान तकनीकी भागीदार होंगे। इन संस्थानों की भूमिका निम्नलिखित होगी:
 - पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री और साथ ही प्रशिक्षण के सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करें ।

- ॥ योजना के तहत मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण।
- आईसीएआर / सीएसआईआर, एसएलटीआई प्रशिक्षण / एसएयू के विस्तार विभागों के साथ जुड़ाव, प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास के लिए एजेंसियां और उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना;

10.2 निफ्टेम की भूमिका: ईडीपी के लिए सामग्री विकास

निफ्टेम पूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल (सिलेबस, कोर्स कंटेंट, ट्रेनर गाइड, प्रतिभागी पुस्तिका, मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल- ऑडियो और वीडियो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, बैंकेबल डीपीआर), अलग-अलग स्तर पर मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के प्रदर्शन के प्रदर्शन सहित प्रशिक्षण के ईडीपी घटक के लिए जिम्मेदार होगा।

10.3 आईआईएफपीटी की भूमिका: ओडीओपी के लिए सामग्री विकास

आईआईएफपीटी मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षकों के प्रदर्शन सिहत प्रशिक्षण के ओडीओपी घटक के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि संस्थान पूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल (पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षक की मार्गदर्शिका, प्रतिभागी पुस्तिका, मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल- ऑडियो और वीडियो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, बैंकेबल डीपीआर) को फलों और सब्जियों पर आधारित उत्पादों के लिए तैयार करेगा, आईआईएफटी डीएलटी के प्रशिक्षण के लिए सेक्टर विशिष्ट संस्थानों के साथ जुड़ेगे।

विस्तृत भूमिका और जिम्मेदारी तालिका अनुलग्नक- 5 के रूप में संलग्न है।

संलग्नक -1

मास्टर ट्रेनर (उत्पाद डोमेन / ईडीपी) का प्रशिक्षण				
उप श्रेणी	प्रशिक्षण के समय की	प्रति प्रशिक्षण लागत ^		
	संख्या			
प्रशिक्षण (उत्पाद डोमेन / EDP)	40 घंटे / 5 दिन का प्रशिक्षण (26 घंटे लाइव कक्षाएं, 14 घंटे आत्म- शिक्षा)			
उत्पाद डोमेन / ईडीपी प्रशिक्षण	20 घंटे / 2.5 दिन	(i) विशेषज्ञ: मानदेय @ रु 3000 प्रति सत्र 2.0 घन्टे।		
एमटी की दोनों श्रेणियों के लिए प्लेटफार्म प्रशिक्षण	16 घंटे। / दो दिन	इंटरनेट शुल्क, पीपीटी, एफआईसीएसआई और उनके अनुभवजन्य एजेंसियों के साथ पाठ्य सामग्री सहयोग के लिए 3417 रुपये / घंटा शामिल है।		
प्रशिक्षण सामग्री		(i) पीपीटी @ 2000 रूपए और अध्ययन सामग्री / हैंडआउट्स की तैयारी के लिए विशेषज्ञों को एक बार भुगतान 1500 रुपये प्रशिक्षण की अनुमति है। आईआईएफपीटी/ निफ्टेम द्वारा सभी सामग्रियों की सॉफ्ट कॉपी रखी जाएगी।		
		(ii) संस्थानों / एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल के आउटसोर्सिंग के लिए दरें अनुलग्नक- IV में दिए गए है I		
प्रशिक्षु वजीफा		एमटी वजीफा: (i) ऑनलाइन: सरकारी अधिकारियों के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं निजी और गैर-सरकारी प्रतिभागी के लिए 500 रुपये प्रति दिन (ii) ऑफ-स्टेशन: सभी प्रतिभागियों के लिए 500 रुपये प्रति दिन (iii) प्रशिक्षण और मूल्यांकन के सफल समापन पर सभी एमटी को मानदेय रु .5000		
एफआईसीएसआई द्वारा मूल्यांकन		प्रति प्रशिक्षुओं रु 900 /-		
मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का व्यय संबंधित संस्थानों द्वारा उन्हें पीएम एफएमई योजना के तहत आवंटित निधि से पूरा किया जाएगा। # एनएसडीसी समतुल्यता				

संलग्नक -1ए

मास्टर ट्रेनर की पात्रता:					
शैक्षिक योग्यता	शिक्षण / प्रशिक्षण का अनुभव	प्रासंगिक औद्योगिक / क्षेत्रीय अनुभव #			
खाद्य उत्पाद एमटी: खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य इंजीनियरिंग / खाद्य विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी विषय में यूजी / पीजी डिग्री	न्यूनतम ५ साल	वांछित			
ईडीपी एमटी: डिप्लोमा/प्रबंधन में डिगी/राज्य सरकार के ईडीपी संस्थानों, निजी संस्थानों, आर एसईटीआई /आरयूडीएसईटीआई में टेनर	·	वांछित			
राज्य सरकार के ईडीपी संस्थानों, निजी संस्थानों, आरएसईटीआई / आरयूडीईटीआई में प्रबंधन / प्रशिक्षकों में डिप्लोमा / डिग्री					

संलग्नक- 2

नामित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में एमटी द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण				
उप श्रेणी *	प्रशिक्षण के घन्टों की	प्रशिक्षण प्रति लागत ^		
	संख्या			
नए प्रशिक्षक	64 घन्टे / 8 दिन	(i) एमटी को मानदेय @ रु 2500 प्रति		
ईडीपी प्रशिक्षण	32 घन्टे / 4 दिन	सत्र २ घन्टे ।		
उत्पाद डोमेन प्रशिक्षण	32 घन्टे / 4 दिन	(ii) पीपीटी की तैयारी के लिए एक बार		
मौजूदा प्रशिक्षक	16 घन्टे / 2 दिन	भुगतान रु .1500		
ईडीपी प्रशिक्षण	8 घन्टे / 1 दिन			
उत्पाद डोमेन प्रशिक्षण	8 घन्टे / 1 दिन	(iii) अध्ययन सामग्री / हैंडआउट्स की		
		तैयारी के लिए एक बार भुगतान 1000		
		रु।		
		एसएलटीआई द्वारा सभी सामग्रियों की		
		सॉफ्ट कॉपी रखी जाएगी ।		
प्रशिक्षकों का वजीफा		(i) ऑनलाइन: सरकारी अधिकारियों के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं		
		। लिए काइ पारिश्रामक नहां निजी और गैर-सरकारी प्रतिभागी के		
		लिए 500 रुपये प्रति दिन		
		(ii) ऑफ-स्टेशन: सभी प्रतिभागियों के		
		लिए 500 रुपये प्रति दिन		
		(iii) प्रशिक्षकों को मानदेय: प्रशिक्ष्ण और		
		मूल्यांकन के सफल समापन के बाद		
		सभी प्रशिक्षकों को रु 3000		
प्रशिक्षण संस्थान		राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान या किसी		
		अन्य नामित एजेंसी को प्रशिक्षण शुल्क		
		@ 10,000 / प्रशिक्षुओं दिया जाएगा जो		
		न्यूनतम २ लाख रुपये प्रति प्रशिक्षण सत्र		
		के अधीन होगा ।		
ईडीपी और उत्पाद डोमेन प्रशिक्षण दोनों में प्लेटफ़ॉर्म प्रशिक्षण के सामान्य घटक होंगे।				
जीएसटी खाते में जहां लागू हो अतिरिक्त राशि अदा करनी होगी ।				
मधी भगतान ग्रमाना दारा गीगम गानामर्द स्कीम के तहत जारी धनराशि से किंग जाांगे				

सभी भुगतान एसएनए द्वारा पीएम एफएमई स्कीम के तहत जारी धनराशि से किए जाएंगे

संलग्नक-2ए

राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्र विशिष्ट संस्थानों द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण			
प्रशिक्षण की अवधि	3 - 5 दिन		
प्रति दिन घंटे का नहीं	5 घन्टे		
ऑनलाइन प्रशिक्षण की आवृत्ति	लाइव क्लासेस, ऑनलाइन प्रदर्शन और इंटरैक्टिव सत्र के साथ महीने में एक बार		
2 घन्टे प्रति सत्र की लागत	मानदेय (i) विशेषज्ञ: मानदेय @ रु 3000 प्रति सत्र 2.0 घन्टे । (ii) पीपीटी 2000 की तैयारी के लिए एक बार भुगतान। (iii) पीपीटी @ आरएस 2000 और अध्ययन सामग्री / हैंडआउट्स की तैयारी के लिए विशेषज्ञों को एक बार भुगतान 1500 रुपये प्रशिक्षण की अनुमति है। निफ्टेम /आईआईएफपीटी द्वारा सभी सामग्रियों की सॉफ्ट कॉपी रखी जाएगी।		
	(ii) संस्थानों / एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल के आउटसोर्सिंग के लिए दरें अनुलग्नक- IV में दिए गए है ।		

संलग्नक-2बी

		त्तराग्नप्र-2वा		
प्रशिक्षकों की पात्रता				
शैक्षिक योग्यता	शिक्षण / प्रशिक्षण का	प्रासंगिक औद्योगिक / क्षेत्रीय		
	अनुभव	अनुभव #		
खाद्य उत्पाद प्रशिक्षक: खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य इंजीनियरिंग / खाद्य विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण में किसी भी संबंधित विषय में यूजी डिग्री / डिप्लोमा	न्यूनतम २ वर्ष	वांछित		
ईडीपी प्रशिक्षकः आरएसईएसआई / आरयूडीएसईटीआई के ईडीपी प्रशिक्षक और नामित जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान / एजेंसियां				

संलग्नक - 3

लाभार्थी क्लास रूम प्रशिक्षण					
उप श्रेणी	प्रशिक्षण के घन्टों की संख्या	लाभार्थी के प्रशिक्षण के लिए देय राशि (रुपये में)			
मौजूदा उद्यमी	50 घन्टे	रु 3974.60 * / प्रशिक्षु			
नए उद्यमी	60 घन्टे - 50 घन्टे. कक्षा और 10 घन्टे. ऑनलाइन प्रशिक्षण	कक्षा प्रशिक्षण के लिए रु 3974.60 * / प्रशिक्षु ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए 2500 / रु 2.5 घन्टे के सत्र हेतु			
समूह लाभार्थियों (एसएचजी / एफपीओ / सहकारी) –मौजूदा	50 घन्टे	হু 3974.60* प्रशिक्षु			

यह प्रशिक्षण राशि एसएनए द्वारा आरएसईटीआई/आरयूडीएसईटीआई या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जिसे एसएनए द्वारा प्रशिक्षण की पेशकश के लिए नामित दिया गया है ।

* एनएसडीसी 30 प्रशिक्षुओं की भागीदारी के आधार पर समतुल्य दर। यदि भागीदारी 30 प्रशिक्षुओं से कम है, तो प्रदान की गई राशि 30 प्रशिक्षुओं के लिए होगी।

प्रशिक्षण की लागत में अभिविन्यास और जुटाना खर्च, प्रचारक मदों की लागत, प्रशिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, लाभार्थी भुगतान, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री की सदस्यता, प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया भोजन एवं जलपान शामिल हैं। जिसमें मूल्यांकन लागत शामिल नहीं है। 900 रूपए प्रति प्रशिक्षुओं की मूल्यांकन लागत शामिल नहीं है।

^ जीएसटी लागू होने पर अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा

	प्रशिक्षण मॉड्यूल, सामग्री और अनुवाद के लिए दरें			
क्र.सं.	सामग्री	प्रति यूनिट लागत कैपिंग (रु.)		
I	ईडीपी / उत्पाद का संपूर्ण मॉड्यूल (वीडियो सिहत (10 मिनट की अवधि के लिए: 50,000 रूपए), डीपीआर (5000 रूपए), पॉवरपॉइंट प्रस्तुति, पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा, (प्रत्येक की न्यूनतम 25 स्लाइड: 7000 रूपए), प्रति भाषा पर ऑडियो वॉयस (5000 रूपए) और रीडिंग मैनुअल (5000 रूपए); अन्य भाषाओं में अंग्रेजी से पठन सामग्री के रूपांतरण के लिए (रु. 1.50 से 1.75 प्रति शब्द; लगभग 1700 से 2000 शब्द: 3000 रूपए)	75,000*/-		
II	अंग्रेजी भाषा के साथ एक वीडियो (अवधि: 5-10 मिनट, 25,000 रु / - तक 5 मिनट तक और रु. 50,000 / - तक 10 मिनट तक)	50,000/-		
	5 मिनट (2500 रूपए) और 5 मिनट से 10 मिनट (5000 रूपए) तक की भाषा पर ऑडियो वॉयस के लिए।	5,000/-		
	प्रशिक्षण मॉड्यूल से संबंधित मैनुअल पढ़ना (अंग्रेजी / हिंदी में) (न्यूनतम पेज 25 से 100)	5,000/-		
	बैंक योग्य परियोजना के लिए डीपीआर	5,000/-		
	उत्पाद विकास, पैकेजिंग और खाद्य सुरक्षा पर पावरपोइंट प्रस्तुति (प्रत्येक की न्यूनतम 25 स्लाइड)	7,000/-		
III	अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में पठन सामग्री के रूपांतरण के लिए (1.50 रूपए से 1.75 प्रति शब्द; लगभग 1700 से 2000 शब्द: 3000 रूपए तक)	3000/-		
IV	प्रक्रिया / उत्पाद प्रौद्योगिकी	संस्थान के मानदंडों के अनुसार		

^{*} अंग्रेजी में संपूर्ण मॉड्यूल के लिए, कुल लागत का लागू कैपिंग 62, 000 रूपए होगा (वॉयस ओवर और रूपांतरण शुल्क घटाएं)

मॉड्यूल के प्रत्येक आइटम की सामग्री / निफ्टेम / आईआईएफपीटी द्वारा निर्धारित की जाएगी और विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित होगी

^जीएसटी खाते मैं जहां लागू हो अतिरिक्त राशि

संलग्नक -5

संस्थानों की जिम्मेदारी

सिलेबस और सामग्री

प्रशिक्षण	पाठ्यक्रम	समीक्षा	सामग्री / सामग्री	समीक्षा	
(i) मास्टर ट्रेनर					
आठ उत्पाद समूह प्लस एमएफपी	आईआईएफपीटी	विशेषज्ञ समिति	सामग्री: आईआईएफपीटी (आन्तरिक); सामग्री: (आन्तरिक / अनुबंध / आउटसोर्स)	विशेषज्ञ समिति	
ईडीपी +	निफ्टेम	विशेषज्ञ समिति	सामग्री: निफ्टेम (आन्तरिक); सामग्री: (आन्तरिक / अनुबंध / आउटसोर्स)	विशेषज्ञ समिति	
		(ii) प्र शि	ाक्षक		
ईडीपी +	निफ्टेम	विशेषज्ञ समिति	सामग्री: निफ्टेम (आन्तरिक); सामग्री: (आन्तरिक / अनुबंध / आउटसोर्स)	विशेषज्ञ समिति	
उत्पाद प्लस एमएफपी	आईआईएफपीटी	विशेषज्ञ समिति	सामग्री: आईआईएफपीटी (आन्तरिक); सामग्री: (आन्तरिक / अनुबंध / आउटसोर्स)	विशेषज्ञ समिति	
	(iii) लाभार्थियों				
ईडीपी +	आईआईएफपीटी	विशेषज्ञ समिति	सामग्री: निफ्टेम (आन्तरिक); सामग्री: (आन्तरिक / अनुबंध / आउटसोर्स)		
उत्पाद प्लस एमएफपी	आईआईएफपीटी	विशेषज्ञ समिति	सामग्री: आईआईएफपीटी (आन्तरिक); सामग्री: (आन्तरिक / अनुबंध / आउटसोर्स)	विशेषज्ञ समिति	

प्रशिक्षण मॉड्यल

॥. प्रान्तवान नावपूरा				
प्रशिक्षण सामग्री	सामग्री	समीक्षा	सामग्री	समीक्षा
•		•		•
ट्रेनर की गाइड	निफ्टेम द्वारा ईडीपी	विशेषज्ञ	निफ्टेम द्वारा ईडीपी संबंधित	विशेषज्ञ
प्रतिभागी पुस्तिका	संबंधित सामग्री	समिति	सामग्री और आईआईएफपीटी	समिति
ए वी ट्यूटोरियल	और		द्वारा ओडीओपी आधारित सामग्री	
पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन	आईआईएफपीटी		(आन्तरिक/ अनुबंध / आउटसोर्स)	
	द्वारा ओडीओपी		, 3 ,	
	सामग्री			
मॉडल बैंकेबल डीपीआर	निफ्टेम		निफ्टेम (आन्तरिक / अनुबंध /	
			आउटसोर्स)	